राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 3070/2023

राजेन्द्र सिंह हरिजन —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोटपुतली—बहरोड।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर जिला कोटपुतली—बहरोड।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.10.2023
आदेश की दिनांक : 06.11.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि यह कि अपीलार्थी को प्रारंभ में दिनांक 02.10.1993 को तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह सीकर अजीतगढ़ जिले के सीएचसी में पदस्थापित था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.07.2022 द्वारा अपीलार्थी को बी. डी.एम. अस्पताल, कोटपूतली, जयपुर में स्थानांतरित कर दिया। जिसकी पालना में अपीलार्थी को दिनांक 11.07.2022 (अनुलग्नक—2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया और उक्त स्थान पर अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.11.2022 (अनुलग्नक—3) द्वारा अपीलार्थी को फिर से बी.डी.एम. अस्पताल जिला कोटपुतली से बी.सी.एम.ओ कार्यालय शाहजहाँपुर (अलवर) में स्थानांतरित कर दिया गया। जिसकी पालना में दिनांक 07.11.2022 (अनुलग्नक—4) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गयाा। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2023 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त कर श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली—बहरोड में अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.09.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त करते हुए अपीलार्थी को निरंतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाजहांपुर जिला कोटपूतली–बहरोड में कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य